



खण्डेलवाल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन

Vision : (At least one Professional in each family)

समाज सेवा में योगदान एवम् भविष्य में समाज सेवा को नया प्रारूप प्रदान करने की बृहत्तर योजनाएँ।



समाज सेवा की अन्य संस्थाएँ

1) संत सुन्दरदास फाऊण्डेशन

(CIN : U93000MH2014NPL255171)

2) के.पी.ए. वेलफेयर फाऊण्डेशन

(CIN : U93030MH2015NPL266469)

पंजीकृत कार्यालय : फाऊण्डेशन चेम्बर्स, 3रा माला, नानाभाई लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 001. दूरभाष : 022-2287 4639

“खण्डेलवाल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन”

A) शून्य से सृजन तक:

- (1) समाज के कुछ व्यावसायिक शिक्षित व्यक्तियों द्वारा शिक्षा के माध्यम से समाज की प्रगति एवम् सर्वांगीण विकास हेतु सन् 2005 में इस ऐतिहासिक योजना का प्रारम्भ।
- (2) सम्पूर्ण देश में विभिन्न व्यावसायिक विषयों के अध्ययन हेतु 425 विद्यार्थियों को रु.522.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदत्त।
- (3) शिक्षा सहायताार्थ 58 दाताओं / सहयोगियों द्वारा 'प्लेटिनम डोनर्स' योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग।
- (4) संस्था के कार्पस फंड में 735.00 लाख की आर्थिक सहायता का प्रबन्ध।
- (5) संस्था के सहयोग से विद्याध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत।
- (6) संस्था के आर्थिक सहयोग की विद्यार्थी एवम् उनके परिवारों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा।

(B) आजतक प्रदत्त आर्थिक सहयोग का विवरण :

क्र. विवरण	विद्यार्थी संख्या	सहयोग राशि (रु. लाख में)
1 टोटल सहायता विवरण	425	522.15
2 धनवापसी विवरण		
i) संपूर्ण धनवापसी विवरण	123	111.25
ii) पोस्ट डेटेड बैंक प्राप्ति	93	136.55
iii) जो विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं	154	172.36
iv) जिन विद्यार्थियों से सहायता राशि भुगतान बकाया है	7	13.96
v) NEFT / RTGS प्राप्ति	48	88.03
कुल	425	522.15



“संत सुन्दरदास फाऊण्डेशन”

(समाज सेवा को नया प्रारूप एवम् दिशा निर्देश देने हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत संस्थापित प्रकल्प)

(A) प्रस्तावित कार्यक्रम :

- शिक्षा :**
 - (i) 5 वी से 12वी तक के छात्रों के लिए आर्थिक अनुदान की व्यवस्था।
 - (ii) केरियर काउंसिलिंग एवम् मार्गदर्शन - 8 वी से 12 कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए।
 - (iii) भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (IAS, IRS, IPS, IFS etc.) की कोचिंग हेतु विशेष व्यवस्था।
- चिकित्सा सेवायें :-**
 - (i) समाज के विशेष पारंगत डॉक्टरों के समन्वय से विभिन्न चिकित्सा सेवाओं के कार्यक्रम एवम् सुविधा।
 - (ii) डॉक्टरों के परामर्श के अनुरूप विभिन्न बिमारियों हेतु सहयोग।
 - (iii) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में दवाईयों एवम् सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था करना।
 - (iv) “**पारिवारिक मेडिकल ग्रुप इन्डोरनेस**” की विशेष योजना।
- महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम :**
 - (i) महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु लघु, कुटीर एवम् गृह उद्योगों की स्वावलंबी योजना में मार्गदर्शन।
 - (ii) महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की विभिन्न योजनाओं में सहायता।
 - (iii) विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष “**आधार**” योजना।
- अन्य कार्यक्रम :**
 - (i) सामाजिक मार्गदर्शन एवम् सहयोग से समाज सेवा की अन्य योजनाएँ प्रारंभ की जा सकती है।

NOTE : उपरोक्त कार्यक्रम क्रमशः जुलाई 2016 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

(B) समाज की “सामाजिक - आर्थिक” जनगणना

- (i) देश-विदेश में रह रहे परिवारों एवम् व्यक्तियों की बहुआयामी जनगणना का बृहत्तर कार्यक्रम।
- (ii) फरवरी - मार्च 2016 से इस अतिविशिष्ट कार्यक्रम का प्रारम्भ करना प्रस्तावित।
- (iii) इस कार्यक्रम से प्राप्त जानकारियों से समाज सेवा के कार्यक्रमों का निर्धारण करने में सुविधा।
- (iv) जनगणना कार्यक्रम web-based (कम्प्यूटर सिस्टम आधारित) रहेगा।

(C) सदस्यता :

- (1) सदस्यता निम्न प्रकार की होगी :-
संस्थापक सदस्य, संरक्षक सदस्य, व्यावसायिक सदस्य, आजीवन सदस्य एवम् साधारण सदस्य।
- (2) सदस्यता प्रारूप
(i) व्यक्तिगत, कार्पोरेट फर्म, LLP (ii) सदस्यता निम्नत्रण पर आधारित रहेगी।
- (3) प्रत्येक परिवार से एक सदस्य, संस्थापक सदस्य के अतिरिक्त, बनाने की व्यवस्था।

(D) सदस्यता शुल्क :-

संस्थापक (व्यक्तिगत)	रु. 1,00,000/-	आजीवन (व्यक्तिगत)	रु. 51,000/-
संरक्षक (व्यक्तिगत)	रु. 2,50,000/-	कार्पोरेट	रु. 2,50,000/-
व्यावसायिक (व्यक्तिगत)	रु. 11,000/-	साधारण (व्यक्तिगत)	रु. 2,500/-

सदस्यता शुल्क (साधारण के अतिरिक्त) कार्पस फण्ड में जमा एवम् उनसे अर्जित ब्याज को ही संस्था के उद्देश्यों हेतु प्रयोग में लाया जा सकेगा। लेकिन इस फण्ड का प्रयोग स्थायी संपत्ति के निर्माण हेतु किया जा सकता है।

(E) संचालक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स)

निम्नलिखित व्यक्ति इसके स्थाई संचालक रहेंगे :-

(1) श्री श्यामसुन्दर खटोरिया, जयपुर	(5) श्री प्रफुल्ल झालानी, मुंबई
(2) श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, मुंबई	(6) श्री सुनील गुप्ता, मुंबई
(3) श्री श्रीराम खण्डेलवाल, मुंबई	(7) श्री गौरीशंकर झालानी, मुंबई
(4) श्री सुभाष बम्ब, कोलकाता	

(F) कार्यक्रम संचालन व्यवस्था :

- (1) न्यूनतम सदस्यता बनने के पश्चात् संस्था के कार्यक्रमों के संचालन हेतु 5 जोनल चेप्टर्स की व्यवस्था।
- (2) जोनल चेप्टर्स के पदाधिकारियों का चुनाव उस जोन के सदस्य करेंगे।
- (3) जोनल चेप्टर्स, संचालक मण्डल के दिशा निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
- (4) संस्था के सभी कार्यक्रमों का संचालन संचालक मण्डल के दिशा निर्देशानुसार किया जाएगा।
- (5) संचालक मण्डल को एक्जेक्यूटिव काउंसिल, परामर्श मण्डल एवम् अन्य समितियाँ बनाने का अधिकार।
- (6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी एवम् कोषाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान।



“के.पी.ए. वेलफेयर फाऊण्डेशन”

(छात्रावास एवम् अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत संस्थापित कम्पनी)

(A) हॉस्टल प्रारूप :-

- (i) मुंबई के निकट नायगाँव में 61 कमरों का प्रथम चरण में छात्रावास प्रस्तावित, 183 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था।
- (ii) छात्रावास हेतु 1400 मीटर भूखण्ड श्री राधेश्यामजी खण्डेलवाल एवम् श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल परिवार द्वारा संस्था को देने की घोषणा।
- (iii) छात्रावास में अत्याधुनिक लाइब्रेरी, किचन, डाइनिंग हाल, कॉफ़ेस हाल आदि सुविधाएं।
- (iv) छात्रावास का नाम “के.पी.ए. - श्रीमती गीतादेवी खण्डेलवाल हॉस्टल” रहेगा।
- (v) आयकर की धारा 80G के अंतर्गत पंजीकरण के पश्चात् जनवरी / फरवरी 2016 में निर्माण कार्य का प्रारम्भ संभावित तीन वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण होना सम्भावित।
- (vi) निर्माण कार्य दो चरणों में - प्रथम चरण में सात मंजिलो का निर्माण एवम् दूसरे चरण में अन्य सात मंजिलो का निर्माण सम्भव।

(B) संचालक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स)

- (i) कम्पनी के कार्यक्रमों के संचालन हेतु एक ‘संचालक मण्डल’ की विधान में व्यवस्था।
- (ii) निम्नलिखित व्यक्ति इसके संस्थापक - स्थाई संचालक मण्डल के सदस्य होंगे:-

i) श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, मुंबई	v) श्री प्रफुल्ल झालानी, मुंबई
ii) श्री श्रीराम खण्डेलवाल, मुंबई	vi) श्री प्रदीप रावत, मुंबई
iii) श्री संजय खण्डेलवाल, मुंबई	vii) श्री अशोक खण्डेलवाल, मुंबई
iv) श्री सुनील गुप्ता, मुंबई	
- (iii) संचालक मण्डल की अधिकतम संख्या 15 रहेगी, लेकिन आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन सम्भव।
- (iv) संचालक मण्डल को कार्यक्रमों के कुशल सम्पादन हेतु विभिन्न समितियाँ बनाने का अधिकार एवम् उनके कार्यक्रमों की समीक्षा।
- (v) संचालक मण्डल को विभिन्न पदाधिकारियों के चयन का अधिकार।

(C) कम्पनी की सदस्यता :-

- (i) सदस्यता निम्नत्रण पर आधारित है।
- (ii) सदस्यता का विधान में वर्णित धाराओं के अनुरूप हस्तांतरण सम्भव।
- (iii) संस्थापक सदस्य (रु.1,00,000/-) संरक्षक सदस्य (रु.2,50,000/-)
(उपरोक्त सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त संचालक मण्डल को किसी भी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हेतु अतिरिक्त शुल्क एकत्रित करने का अधिकार)
- (iv) कम्पनी की सदस्यता वैयक्तिक, कम्पनी, फर्म अथवा HUF हो सकती है।

(D) प्रथम चरण निर्माण कार्य एवम् धन संग्रह :-

- (i) प्रथम चरण की निर्माण प्रक्रिया एवम् अन्य सुविधाओं पर लगभग रु.15.00 करोड़ की अनुमानित लागत।
- (ii) लागत को सदस्यों से एकत्रित करने की निम्नलिखित योजनाएं:-

प्रस्तावित सुविधा / निर्माण कार्य	निधि में योगदान (लाख रूपयों में)	छात्रावास में उपलब्ध रहने की व्यवस्था में आरक्षण प्राथमिकता
a) विद्यार्थियों हेतु कमरा निर्माण (प्रति कमरा)	15.00	1
b) किचन एवम् डाइनिंग हाल	150.00	6
c) पढ़ने हेतु कमरे (3) (प्रति कमरा)	15.00	3
d) स्वागत कक्ष एवम् मन्दिर	100.00	4
e) लाइब्रेरी (2) (प्रति)	31.00	2
g) कान्फरेन्स रूम	21.00	1
h) गार्डन एवम् लैंडस्केपींग	15.00	1
i) भूमि उपलब्ध कराने हेतु	-	10
j) अन्य	222.00	-

- (iii) अन्य के अतिरिक्त धन संग्रह सहयोग कर्ताओं के नाम का विशिष्ट स्थान पर शिलालेख पर उल्लेख।
- (iv) योगदान की राशि 3 बराबर के हिस्से में 3 वित्तीय वर्ष में देय होगी।
- (v) निर्माण हेतु प्रदत्त धनराशि आयकर की धारा 80G के अंतर्गत आयकर से मुक्त रहेगी।

आईए, हम सब मिलकर सामाजिक एकता, उत्थान एवं प्रगति के लिए सदैव कार्यरत रहें।